संख्या-07/2025/I/852278/2025/71-1002(002)/9 /2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 17 जनवरी, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में 05 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2024-25/479, दिनांक 09.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में 05 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-83/2023/I/326899/2023/71-1002(002)/9 /2022 दिनांक 05.06.2023 द्वारा अनुमोदित सूची के क्रम सं0-89 पर Digital Portable X- ray Machine अनुमानित मूल्य रू0 45.00 लाख, के स्थान पर एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति हेतु 01 Bus (42 Seater) for Students (01Nos), Window A.C. (1.5 Ton with Stabilizer "10Nos."), Split A.C. (1.5 Ton with Stabilizer "10Nos."), Projector with Screen "04Nos") एवं अंतर की धनराशि के सापेक्ष Biometric Machine "01Nos सूची को अनुमोदित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना (Phase-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में 05 पी0जी0 सीटों की वृद्धि पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष रू0 599.00 लाख की लागत अनुमोदित की गयी। उक्त योजना का फ़ण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है। विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 383.60 लाख की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखी गयी है। शासनादेश संख्या-83/2023/आई/326899/2023, दिनांक 05.06.2023 द्वारा केन्द्र पुरानिधानित योजना (फेज-2) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में 05 पी०जी० सीटों की वृद्धि के सापेक्ष रू0 598.67 लाख के स्किल लैब/उपकरण/फर्नीचर की सूची अनुमोदित करते हुए रू0 239.60 लाख (राज्यांश) की धनराशि एस0एन0ए0 खाते में से हस्तांतरित की जा चुकी है। इस प्रकार रू0 144.00 लाख की धनरशि एस0एन0ए0 खाते में अवशेष है। केन्द्र पुरानिधानित योजना (फेज-2) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में 05 पी०जी० सीटों की वृद्धि के सापेक्ष अनुमोदित लागत रू0 599.00 लाख के सापेक्ष रू0 598.67 लाख के स्किल लैब/उपकरण/फर्नीचर की सूची अनुमोदित की जा चुकी है। इस प्रकार अंतर की धनराशि रू0 24000/- है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में 05 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष उक्त शासनादेश दिनांक 05.06.2023 द्वारा अनुमोदित सूची के क्रम सं0-89 पर Digital Portable X- ray Machine अनुमानित मूल्य रू0 45.00 लाख, के स्थान पर एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति हेतु 01 Bus (42 Seater) for Students (01Nos), Window A.C. (1.5 Ton with Stabilizer "10Nos."), Split A.C. (1.5 Ton with Stabilizer "10Nos."), Projector with Screen "04Nos") के क्रय की अनुमति वित्तीय नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में 05 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष Biometric Machine "01Nos के क्रय हेतु **रू0 24000/- (रू0 चौबीस हजार मात्र)** (केन्द्रांश) की धनराशि, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि में से हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रधानाचार्य की होगी।
2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
8. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
9. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
10. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in